न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– ~~63~~ 14/2017

उनवान

1. रामलाल पुत्र सरराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. गंगा पत्नि बिरदा (तर्क)
2. छोटू पुत्र बिरदा
3. किशना पुत्र लखमा
4. नारायण पुत्र लखमा
5. बीरमा पुत्र लखमा जाति गुर्जर समस्त निवासीगण ग्राम बनेवड़ा तह नसीराबाद जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

–– अप्रार्थीगण :– 4 व 5 जरियें अधिवक्ता श्री परमेश्वर रावत
1, 2, 3 अनुपस्थित, 6 जरियें राज0 पैरोकार

7. उगमी पत्नि सरराम,
8. सीता पुत्री सरराम
9. किशनी पत्नि सांवता
10. नारायण पुत्र भालू
11. गोविन्द पुत्र सांवता,
12. पूसा पुत्र ग्रंगाराम
13. शांति पुत्री गंगाराम
14. चुकी पुत्री गंगाराम
15. गोपाल पुत्र रमती पत्नि रामकरण,
16. प्रभू पुत्र रमती पत्नि रामकरण
17. प्रेम पुत्री रतती पत्नि रामकरण समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम बनेवड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

–– परफोर्मा अप्रार्थीगण :– 13 व 16 अनुपस्थित
7 से 12, 14, 15, 17 जरियें अधिवक्ता श्री परमेश्वर रावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश :– दिनांक :– 15.3.21

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के खाता संख्या 20/24 व 22/22 के खसरा नम्बर 2320, 2321, 2322, 2319, 2304, 2492, 2493, 2495, 2498, 2510, 2511 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 से 17 की संयुक्त खातेदारी की है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी खसरा नम्बर 2327, 2329, 2333 व

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2342/2568 से होते हुये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने खातेदारी खेतो में प्रवेश करते है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग नही है। प्रार्थी कदीम से उक्त मार्ग का उपयोग कर रहा है। अतः आवागमन हेतु 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाने का आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 13, 16 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। परफोर्मा अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करने हेतु जवाब पेश किया। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर कच्चा बना हुआ है एवं ग्रामवासियों के आवागमन हेतु काम में लिया जा रहा है। जो कि लघुतम मार्ग है। प्रस्तावित रास्तें के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नही है। खसरा नम्बर 2327 किशना, नारायण, बीरम पुत्र बिरदा रेगर, 2329 गंगा पत्नी बिरदा, छोटू पुत्र बिरदा रेगर के नाम, खसरा नम्बर 2333 व 2342/2568 सिवायचक होना बताया जिसमें से क्रमशः 0.01, 0.06, 0.08, 0.05 कुल 0.20 है0 भूमि रास्तें के लिये उपयोग में आयी जानी है। जिसकी डी0एल0सी0 दर से राशि 29375 होती है। चाहे गये रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 2329 के खातेदार गंगा पत्नी बिरदा की मृत्यु हो गयी है। शेष खातेदार छोटू बिरदा रेगर मौके पर रास्ता चाहता है पर नक्शे में तरमीम नही चाहता है।

उपरोक्तानुसार बनेवडा के खाता संख्य 20/24 व 22/22 के खसरा नम्बर 2320, 2321, 2322, 2319, 2304, 2492, 2493, 2495, 2498, 2510, 2511 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 से 17 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त खातेदारी खेतो पर आवागमन हेतु प्रार्थी को खसरा नम्बर 2327, 2329, 2333, 2342/2568 का उपयोग करता है उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य काई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है। प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिये लघुतम मार्ग सलंग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार ख0न0 खसरा नम्बर 2327 किशना, नारायण, बीरम पुत्र बिरदा रेगर, 2329 गंगा पत्नी बिरदा, छोटू पुत्र बिरदा रेगर के नाम, खसरा नम्बर 2333 व 2342/2568 सिवायचक आराजी में से क्रमशः 0.01, 0.06, 0.08, 0.05 कुल 20 है0 भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में दर्शाया रास्ता पूर्व में ही प्रार्थी व ग्रामवासियों के आवागमन हेतु कार्य में लिया जा रहा है। मौका रिपोर्ट में विपरित तथ्य नही है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई तथ्य नही है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 2327 मे से 20 मीटर गुणा 5 मीटर, 2329 में से 120 मीटर गुणा 5 मीटर, 2333 में से 125 मीटर गुणा 6.40 मीटर व 2342/2568 में से 100 मीटर गुणा 5 मीटर चौडा रास्ता की भूमि में सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। खसरा नम्बर 2327 की डी0एल0सी0दर से दो गुना राशि 3750/ तीन हजार सात सौ पचास रूपये, खसरा नम्बर 2329 की डी0एल0सी0दर से दो गुना राशि 22500/ बाईस हजार पांच सौ रूपये जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को भुगतान के बाद व खसरा नम्बर 2333 व 2342/2568 की डी0एल0सी0दर से दो गुना राशि 32500/ बतीस हजार पांच सौ रूपये राजकोष में जमा करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद